संख्या–वे0आ0–2–254 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) प्रयोगशाला सहायक के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(3) भूमि संरक्षण अधिकारी एवं प्राविधिक अधिकारी के पोषक पदों में सम्मिलित प्राविधिक सहायक पद को पोषक पदों से हटा दिया जाय।

(4) विभाग में राजस्व सेवा के पदों पर निम्न तालिका के स्तम्भ–3 के अनुसार भर्ती हेतु अर्हता/विधि निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में तालिका के स्तम्भ–2 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जायें :–

पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती की विधि एवं न्यूनतम निर्धारित अर्हता
1	2	3
उप राजस्व अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800	06 वर्ष की सेवा वाले जिलेदार से पदोन्नति द्वारा जिन्होने कैनाल लॉ प्रोसीजर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
जिलेदार	वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	07 वर्ष की सेवा वाले ऐसे सींच पर्यवेक्षक से पदोन्नति द्वारा जिन्होने जिलेदारी अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
सींच पर्यवेक्षक	वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	25 प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता इण्टर मीडिएट। 75 प्रतिशत पद सींचपाल के पदों से पदोन्नति द्वारा।
सींचपाल	वेतन बैण्ड–1 रू0	सीधी भर्ती। अर्हता–हाईस्कूल।

	5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	

(5) मुंशी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(6) सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(7) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2– 254(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।